

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23(2)(55)त.शि./2015 पार्ट-2 वो. 2

जयपुर, दिनांक 26.07.2022

Director/Principal
Xavier Institute of Management & Informatics
Nevta-Mahupra Road, Jaipur-302029

विषय :- NOC for Starting of New Institute in MBA & MCA
(Session 2022-23)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर से अभिशंभानुसार आपके संस्थान को Starting of New Institute in MBA & MCA For the Session 2022-23 की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त किए जाने पर छात्रों के अध्यापन, फीस, फीस संबंधी एवं लीगल संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की रहेगी तथा एआईसीटीई, आरटीयू, कोटा/बीटीयू, बीकानेर एवं राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा जारी गाईडलाइन एवं आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, त.शि.
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चंडीगढ़।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
7. रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
9. निदेशक, सेन्टर फोर ई-गवर्नेन्स, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.